

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा उक्त विवादित भूमि श्री जगाराम भील से क्रय किया जाना बताया है, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो यह साबित कर सके। यह है कि नियम 157(ख) के तहत पुराने गृहों का पट्टा जारी करने का प्रावधान है, जबकि ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा दिनांक 16.02.2021 की मौका फर्द रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया हुआ है कि उक्त विवादित भूमि पक्का मकान नहीं होकर कांटों की बाड़ु लगी हुई है, जिसके अन्दर एक अस्थाई टीनशेड बना हुआ है एवं इसके पश्चिम दिशा में श्री जगदीश भील का मकान है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट एवं इसके संलग्न प्रस्तुत फोटोग्राफ का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूमि पर कोई पुराना गृह बना हुआ नहीं है, केवल कांटों की बाड़ु लगी हुई है एवं अन्दर एक टीनशेड बना हुआ है, जिसे आवास(गृह) नहीं कहा जा सकता। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ग्राम चवरली का निवासी है एवं ग्राम चवरली में अप्रार्थी संख्या दो के दो पक्के मकान स्थित हैं, जिनके ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किए हैं। यह है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के अनुसार आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखने वाले इच्छुक व्यक्ति को ही पट्टा जारी किया जाता है, परन्तु उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का पुराना कब्जा होने के सम्बन्ध में न तो अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं एवं न ही पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है, जिसमें अप्रार्थी संख्या दो का पुराना कब्जा साबित होता हो। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं फोटोग्राफ का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या दो का उक्त विवादित भूमि पर न तो किसी भी प्रकार का कोई कब्जा है एवं न ही उक्त विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई पुराना आवास या गृह बना हुआ है। जहां तक अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा किया गया पंजीकृत पट्टे का सवाल है तो इस न्यायालय की लाईब्रेरी में उपलब्ध विधिक दृष्टांत 2018 (3) RLW 2325 Raj घेवरचंद बनाम राजस्थान सरकार में बताया गया है कि Registration of a patta is only a Consequential event and when the pattas are found to have been issued contrary to the obtaining rules, the mere registration thereof cannot be treated as a safe harbor. The cancellation of said patta by the competent authority will also thus entail would follow consequences in law rendering the registration thereof ineffective and inconsequential. अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 136 दिनांक 17.02.2011 क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2022 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. भँवर लाल)  
जिला कलेक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)  
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

प्रार्थी

पंचायत निगरानी सं. 138/2020

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

अप्रार्थीगण

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री हुकुमसिंह पुत्र श्री भँवरसिंह जाति राजपूत निवासी चवरली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती  
राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 29.03.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 22.12.2010 पट्टा संख्या 136 दिनांक 17.02.2011 क्षेत्रफल 1600 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही ने दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विपरित पट्टा जारी किए है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा अप्रार्थी संख्या दो की पुश्तैनी भूमि नहीं होने के बावजूद भी राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 उपनियम (1) के अन्तर्गत विधिविरुद्ध विक्रय विलेख जारी किया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो का उक्त भूखण्ड पर वर्तमान में कोई भी पुराना भवन बना हुआ नहीं है, जबकि नियम 157(ख) में उक्त भूमि पर पुराना भवन बना हुआ होना चाहिए था। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है। पंचायत स्तर पर नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही, जांच सम्पन्न नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या

Bello  
जिला कलक्टर, सिरोही

दो नियम 157(ख) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्र व्यक्ति नहीं था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी विवादित पट्टा संख्या 136 दिनांक 17.02.2011 क्षेत्रफल 1600 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(ख) के नियमों के विपरीत पट्टा जारी किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ग्राम चवरली ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी का निवासी है एवं अप्रार्थी संख्या दो के ग्राम चवरली में दो मकान बने हुए हैं। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उस भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है एवं उक्त भूखण्ड खाली पड़ा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा संख्या 136 दिनांक 17.02.2011 क्षेत्रफल 1600 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(ख) के तहत पुराने मकान का पट्टा शुल्क 200/-रुपए लेकर जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध में उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या-एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमों के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-दो द्वारा इस संबंध में कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नहीं की गई है यह है कि पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है। अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह है कि नियम 157(ख) के तहत पुराने कब्जे के निर्मित कच्चे मकान की भूमि का पट्टा जारी किया गया है एवं इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी ने मौका निरीक्षण कर मौका स्थिति का उल्लेख किया है। यह है कि ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी उक्त पट्टा संख्या 136 दिनांक 17.02.2011 को उपपंजीयन कार्यालय पिण्डवाडा में पंजीयन करवाया गया है एवं पंजीयनशुदा दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त करवाए बगैर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से खारिज काबिल है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, आदर्श डूंगरी द्वारा रूपए 200/- शुल्क लेकर राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(ख) के अनुसार-

157.-पुराने गृहों का विनियमितिकरण- जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहाँ उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा-

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफल:

Buldo ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित जिला कलेक्टर, सिराही पुराने गृहों के लिए।